उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक संशोधन सं। 2014 का 246

देवी शर्मा और एक अन्य।

.संशोधनवादी।

बनाम

उत्तराखंड राज्य।

प्रतिवादी।

उपस्थित :-

Mr. M.K. रे, संशोधनवादियों के अधिवक्ता।श्री R.K. शाह, उत्तराखंड राज्य के उप महाधिवक्ता।

माननीय आलोक सिंह, जे

और न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 13.07.2012 को पारित आदेश जिसके से दोनों संशोधनवादियों को भा.दं.सं. की खंड 323,324 के से दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें भा.दं.सं. की खंड 323 के से छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और अग्रेतर भा.दं.सं. की खंड 324 के से एक साल के कठोर कारावास और 1,000/- प्रत्येक का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी; और तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.09.2014 के विरुद्ध, जिसमें आरोपी/संशोधनवादियों द्वारा दायर अपील को निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था।

फैसले के विरुद्ध वर्तमान संशोधन को प्राथमिकता दी जाती है

Mr. M.K. संशोधनवादियों के विद्वान अधिवक्ता रे ने जोरदार तर्क दिया है कि चूंकि दोनों संशोधनवादी पहली बार अपराधी हैं और उन्हें अधिकतम एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, इसलिए दोनों संशोधनवादियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ देकर परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय यह न्यायालय आरोपी संशोधनवादियों द्वारा घायल/पीड़ित-सोनू चौहान को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की खंड 5 के साथ खंड 357 (3) Cr.P.C. के से उचित मुआवजा प्रदान कर सकता है।

उत्तराखंड राज्य के उप महाधिवक्ता श्री रमन कुमार साह प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अभियुक्तों/संशोधनवादियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और वे दोनों पहली बार अपराधी प्रतीत होते हैं।

कमांडेंट, 20 वीं बटालियन, आईटीबीपी बनाम संजय बिनजोला के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में एससीसी (सीआरआई) में रिपोर्ट दी। पैराग्राफ 7 में 897 ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया है:

"7. जेल जीवन के हानिकारक प्रभाव के अधीन किए बिना समाज के एक उपयोगी और आत्मनिर्भर सदस्य के रूप में अपराधियों के सुधार और पुनर्वास पर बढ़ते जोर को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू किया गया है।अधिनियम न्यायालय को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार देता है, सभी उपयुक्त मामलों में, एक अपराधी को ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 में उल्लिखित विवरण के लिए दंडनीय नहीं है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3,4,5 और 6 निम्नानुसार हैः

"3. जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) पश्चात धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि से दो वर्ष खंड अनधिक के कारावास या जुर्माने या दोनों खंड दंडनीय कोई अपराध करता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है और जिस न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, उसपश्चात मत है कि अपराध पश्चात प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले पश्चात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना समीचीन है, तब, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि में इस खंड या खंड 4 के से उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश शामिल होगा।

4. अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की अदालत की शक्ति

1. जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और न्यायालय जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, की मत है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय उसे तुरंत किसी सजा की सजा सुनाने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि उसे मुचलके के साथ या बिना मुचलके के, ऐसी अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित होने और सजा प्राप्त करने के लिए रिहा किया जाए, जो अदालत निर्देश दे सके, और इस बीच शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने के लिए:

"बशर्ते कि अदालत किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसकी जमानत, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिस पर अदालत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

2. उपधारा (1) के से कोई आदेश देने से पहले, न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

3. जब उपधारा (1) से कोई आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय, यदि यह मत है कि अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि अपराधी आदेश में नामित परिवीक्षा

अधिकारी की देखरेख में ऐसी अवधि के दौरान रहेगा, जो एक वर्ष से कम नहीं है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अपराधी के उचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

4. उपधारा (3) से पर्यवेक्षण आदेश देने वाले न्यायालय से अपेक्षा होगी कि अपराधी को रिहा किए जाने से पूर्व, प्रतिभू के साथ या उसके बिना, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों और निवास, मादक पदार्थों से प्रविरति या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करने के लिए, जो न्यायालय, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे।

5. उपधारा (3) से पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश के नियमों और शर्तों की व्याख्या करेगा और प्रत्येक अपराधी, प्रतिभू, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति तुरंत प्रस्तुत करेगा।

5. रिहा किए गए अपराधियों से मुआवजे और लागत का भुगतान करने की अदालत की शक्ति।-

1. अदालत धारा 3 या धारा 4 के से किसी अपराधी खंड रिहाई का निर्देश दे सकती है, यदि वह उचित समझती है, तो उसी समय उसे भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक अग्रेतर आदेश दे सकती है -

क. ऐसा मुआवजा जो अदालत अपराध के कारण किसी व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट के लिए उचित समझती है;

(ख) कार्यवाहियों की ऐसी लागत जो न्यायालय उचित समझता है।

2. उपधारा (1) से संदत्त किए जाने का आदेश खंड गई रकम संहिता खंड धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल खंड जा सकती है।

3. उसी मामले से उत्पन्न होने वाले किसी वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय, जिसके लिए अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, हर्जाना देने में उपधारा (1) के से मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

6. प्रतिबंधों में इक्कीस वर्ष से कम आयु के अपराधियों के सेरावास से प्रावधान है।

1. जब इक्खंडस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कारावास (लेकिन आजीवन कारावास से नहीं) से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसे कारावास खंड सजा नहीं देगा, जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अपराध खंड प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले खंड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसके साथ धारा 3 या धारा 4 के से व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास खंड कोई सजा देता है, तो वह ऐसा करने के अभिलेख अपने कारणों को दर्ज करेगा।

2. स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपखंड (1) में निर्दिष्ट अपराधी के साथ खंड 3 या खंड 4 से व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा और अपराधी के चरित्र और शारीरिक और मानसिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट, यदि कोई हो, और उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा।

धारा 3 के केवल अवलोकन खंड यह प्रदर्शित होगा कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 379 या 380 या 381 या 404 या 420 से दंडनीय अपराध के लिए या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि से दो वर्ष खंड अधिक के कारावास या जुर्माने या दोनों खंड दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और ऐसा व्यक्ति पहली बार अपराधी पाया जाता है, तो न्यायालय उचित चेतावनी के पश्चात अधिनियम की धारा 4 से अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर ऐखंड व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश दे सकता है। अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण खंड पता चलेगा कि परिवीक्षा पर पूर्व रिहाई को पूर्व दोषसिद्धि के रूप में माना जाएगा।

अर्थात्, यदि ऐसे व्यक्ति को पहले ही किसी समय प्रथम अपराधी अधिनियम के परिवीक्षा का लाभ देकर परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया है, तो वह बाद के विचारण में बाद के अपराध के लिए परिवीक्षा पर रिहाई की मांग नहीं कर सकता है।दूसरे शब्दों में, यदि धारा 3 और 4 की अन्य शर्तें उपलब्ध हैं तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ अभियुक्त को जीवनकाल में एक बार दिया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 4 यह प्रदर्शित करेगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐखंड अपराध को करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास खंड दंडनीय नहीं है, तो उस घटना में, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय उखंड किसी भी दंड के लिए तुरंत सजा देने के बजाय, ऐखंड व्यक्ति को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर, उसके मुचलके में प्रवेश करने पर, जमानत के साथ या उसके बिना, तीन साल खंड अधिक की अवधि के लिए रिहा कर सकता है।अपराधी को रिहा करने से पहले, परिवीक्षा पर, न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि अपराधी या उसकी जमानत, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिस पर न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश पारित करने से पहले न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट भी बुला सकता है।न्यायालय परिवीक्षा पर रिहा करते समय यह भी निर्देश दे सकता है कि अभियुक्त एक वर्ष से कम की अवधि के लिए परिवीक्षा अधिसेरी की देखरेख में रहेगा।

यह प्रकट करेगा कि यदि अपराध 2 वर्ष से अधिक दंडनीय नहीं है तो परिवीक्षा पर रिहाई चेतावनी के पश्चात होगी।यद्यपि यदि अपराध 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दंडनीय है, लेकिन मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो सजा की चेतावनी की आवश्यकता नहीं होगी और यदि परिवीक्षा पर रिहा किया गया व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी अपराध में शामिल पाया जाता है या अन्यथा, बांड की शर्त का उल्लंघन करते हुए व्यवहार किया जाता है, तो उसे सजा काटने का निर्देश दिया जाएगा

न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनियम की धारा 3 और 4 का संयुक्त पठन।

दूसरे शब्दों में, परिवीक्षा पर रहते हुए ऐसे व्यक्ति को बाद के अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए या उसे अपने बंधपत्र/प्रतिभूति बंधपत्र की शर्त का सम्मान करना चाहिए और यदि वह इसका उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायालय द्वारा दी गई सजा काटनी होगी।

अधिनियम की खंड 5 अदालत को पीड़ित को मुआवजा/लागत का भुगतान करने के लिए अपराधी को निर्देश देने की शक्तियां देती है, जैसा कि अदालत उचित समझे।

अधिनियम से धारा 6 के अधिदेश के अनुसार, यदि अपराधी से आयु 21 वर्ष खंड कम है, तो उखंड परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए, यदि अधिनियम से धारा 3 और 4 से सभी शर्तें संतुष्ट पाई जाती हैं, जब तक कि अदालत लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं करती है कि अपराध से प्रकृति के साथ-साथ अपराधी के चरित्र को देखते हुए परिवीक्षा पर रिहाई वांछनीय नहीं होगी।

अधिनियम की खंड 11 के अनुसार, अधिनियम की खंड 3,4 और 5 के से प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।

हाथ में मामले में, दोनों आरोपी/संशोधनवादी पहली बार अपराधी हैं; लड़ाई रास्ता से संबंधित किसी विवाद के कारण हुई है, वह भी अचानक।इसका मतलब है कि दोनों आरोपियों ने सोनू चौहान पर कथित हमले की योजना नहीं बनाई है।सोनू चौहान के व्यक्ति पर चोट को जीवन के आदेश खतरा नहीं माना गया था, इसआदेश, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्तों/संशोधनवादियों को शेष सजा काटने के आदेश जेल में रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, परिणामस्वरूप, उन्हें स्वयं को सुधारने के आदेश परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए।

घायल सोनू चौहान को लगी चोट और दर्द के लिए, उन्हें आरोपी संशोधनवादियों को 40,000/- (उनमें खंड प्रत्येक द्वारा 20,000/-) का मुआवजा देने का निर्देश देकर मुआवजा दिया जा सकता है, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के साथ अधिनियम की धारा 5 के से प्रदान किया गया है।

इस प्रकार, वर्तमान संशोधन का निपटान इस निर्देश के साथ विद्वान जाता है कि संशोधनकर्ताओं को तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रिहा विद्वान जाएगा, विद्वत विचारण मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उनके व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर प्रत्येक को एक-एक मुचलका के साथ।विद्वान मजिस्ट्रेट बांडों को स्वीकार करते समय ऐसी शर्तों को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिन्हें वह कानून के अनुसार उचित और उचित समझता है।संशोधनविचारणी अभियुक्त बॉन्ड प्रस्तुत करते समय ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास 40,000/- (उनमें से प्रत्येक द्वारा 20,000/-) भी जमा करेंगे।अभियुक्तों/संशोधनकर्ताओं से 40,000/- प्राप्त करने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट घायल सोनू चौहान को संशोधनवादियों द्वारा जमा की गई मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी करना करेंगे और सोनू चौहान को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अभियुक्त संशोधनवादी परिवीक्षा के दौरान अच्छे आचरण और व्यवहार का पालन करने में विफल रहते हैं या विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो विद्वत मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सजा काटने के लिए बुलाए विद्वान बांड को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

इस निर्णय की प्रति को सूचना/अनुपालन के लिए विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट को भेजा जाए।

इस निर्णय की प्रति सूचना के लिए इस न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों को वितरित की जाए।

(आलोक सिंह, जे.) 28.10.2014